

By e-mail
क्रमांक ११

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर
क्रमांक: प.४(ड)()का.भा./डीएलबी/21/ ५४३

दिनांक: ३-३-२०२३

आदेश

श्रीमती चन्दा मीणा अध्यक्ष, नगरपालिका कानोड (उदयपुर) को पत्र क्रमांक प.२(च)()
एसीबी/ fir no. 476/ जॉच/ डीएलबी/23/ ६९९ दिनांक 22.02.2023 द्वारा नगरपालिका
कानोड (उदयपुर) के अध्यक्ष पद से निलम्बित किये जाने से रिक्त हुये पद पर श्रीमती
गुडडी बाई मीणा पार्षद वार्ड नम्बर ६ को नगर पालिका कानोड के अध्यक्ष पद का कार्यभार
दिया जाता है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा ५०(१) के अन्तर्गत प्रदत्त
शवित्यों का प्रयोग करते हुये श्रीमती गुडडी बाई मीणा पार्षद वार्ड नम्बर ६ नगरपालिका
कानोड (उदयपुर) के अध्यक्ष पद पर आगामी ६० दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य
आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए कार्यभार दिया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक/एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.४(ड)()का.भा./डीएलबी/22/ ५४५—५५६ दिनांक ३-३-२०२३

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
6. जिला कलक्टर, उदयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कानोड।
9. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन हेतु।
10. प्रभारी मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ।
12. श्रीमती गुडडी बाई मीणा पार्षद वार्ड नम्बर ६ नगरपालिका कानोड (उदयपुर)।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माधुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी